"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 मई 2018 — वैशाख 25, शक 1940

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2018/रास/यू-11. — छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) की धारा 9 (2) में निहित प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग के कुलपति पद के लिए तीन प्रख्यात व्यक्तियों का पेनल अनुशंसित करने के लिए माननीय कुलाधिपति द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है :-

1.	श्री विवेक ढाँड, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) रायपुर	-	कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य
2.	मेजर जनरल (डॉ.) श्रीकान्त, एस. एम., व्ही. एस. एम. (सेवानिवृत्त), पूर्व कुलपति, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा) एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अकादमी (भारत)	-	राज्य शासन द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य
3.	डॉ. राज कुमार सिंह, संचालक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ईज्जत नगर (उ. प्र.)	-	कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य

श्री विवेक ढाँड उक्त समिति के अध्यक्ष होंगे.

2. उपर्युक्त समिति इस अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छ: सप्ताह की अवधि में माननीय कुलाधिपति को तीन व्यक्तियों का पेनल प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-
(रोक्तिमा यादव)
राज्यपाल के उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.